राकेश देवा आदि **बनाम** बृजलाल आदि
अन्तर्गत धारा 212 आरटीए नम्बर 78 सन् 2024
जी.सी.एम.एस. नम्बर 2024/300

तामिल हुकम	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
06.06.2025	अधिवक्तागण उपस्थित। उभयपक्ष अधिवक्तागण के द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 आरटीए पर की गई बहस पर मनन किया गया व पत्रावली का अवलोकन किया गया। प्रार्थी अधिवक्ता के द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 आरटीए में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए अर्ज किया कि चक 6 वीं, पटवार हल्का धनूर, भू.अ.नि. क्षेत्र धनूर, तहसील श्रीकरणपुर की जमाबन्दी सम्वत 2074 ता 2077 के खाता संख्या 81/81 के मुरब्बा नम्बर 61, 73, 90/44 की कुल 6.804 हैक्टेयर भूमि की मौका व राजस्व रिकॉर्ड की यथास्थिति मूलवाद के निर्णय तक बनाए रखे जाने के आदेश दिए जावे। अप्रार्थी संख्या 1 अधिवक्ता के द्वारा जवाब प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया कि हस्तगत प्रकरण में मौका व राजस्व रिकॉर्ड की यथास्थिति बनाए रखे जाने के आदेश दिए जावे। अप्रार्थी संख्या 4, 5, 6 अधिवक्ता के द्वारा जवाब प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया कि अप्रार्थी संख्या 1 बृजलाल के द्वारा पूरे होशो–हवास एंव स्वय तथा परिवार की सहमति से अप्रार्थी संख्या 4 को जरिए पंजीकृत दानपत्र दिनांक 21.06.2024 को हस्तान्तरित की है। जिस पर अप्रार्थी संख्या 4 का कब्जा काश्त है। कानूनन पंजीकृत दानपत्र के अस्तित्व में रहते हुए अप्रार्थी संख्या 4 की खातेदारी अधिकारो के बारे में निर्णय करने का राजस्व न्यायालय को क्षेत्राधिकार नहीं है, केवल सिविल न्यायालय को है।अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 आरटीए खारिज फरमाया जावे। लिहाजा राजस्व ग्राम 6 वीं, पटवार हल्का धनूर, भू.अ.नि. क्षेत्र धनूर, तहसील श्रीकरणपुर की जमाबन्दी सम्वत 2074 ता 2077 के खाता संख्या 178/81 के मुरब्बा नम्बर 73 की कुल 1.834 हैक्टेयर भूमि अप्रार्थी संख्या 4 के नाम दर्ज राजस्व रिकॉर्ड है। जो जरिए दानपत्र नामातंरण संख्या 826 दिनांक 28.07.2024 से दर्ज हुई है। अप्रार्थी संख्या 1 वादगत भूमि का अभिलिखित खातेदार है। यदि अभिलिखित खातेदार के विरूद्व अस्थायी निषेधाज्ञा जारी की जाती है। अप्रार्थी संख्या 1 को अपूरणीय क्षति कारित होगी। अतः हस्तगत प्रकरण के तीनों विन्दू यथा प्रथम दृष्टया मामला, सुविधा का सतुलन एंव अपूरणीय क्षति प्रार्थी के पक्ष में बनना प्रतीत नहीं होते है। प्रार्थी/वादी प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम–1955 बाबत अस्थाई व्यादेश भली–भांति साबित नहीं होने से अस्वीकार/खारिज किया जाता हैं। पत्रावली इस कदर फैसल शुमार होकर नम्बर से कम होकर मूलवाद के साथ संलग्न हो। उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) श्रीकरणपुर (श्रीगंगानगर)	

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) श्रीकरणपुर (श्री गंगानगर)